अध्याय 5

विश्व की प्रमुख घटनाएं

18 वीं से 20 वीं शताब्दी तक विश्व घटना क्रम में काफी उथल–पुथल रही। इन घटनाओं से भारत भी प्रभावित रहा । भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और 1947 ई. में उसकी समाप्ति आधुनिक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रान्ति, रुस की क्रांति,अमरीका का स्वतंत्र संग्राम, पश्चिमी देशों का औपनिवेशिक विस्तार,प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध,राष्ट्रसंघ व संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना आदि घटनाएं प्रमुख है। इन बातों पर भी विचार करना होगा कि सैन्य शक्ति और विश्व शक्ति के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचा हुआ और अजेय माना जाने वाला इंग्लैण्ड का साम्राज्य किस प्रकार समाप्त हो गया।

फ्रांस की राज्य–क्रान्ति 1789 ई.

इंग्लैण्ड की 1688 ई. की गौरवपूर्ण क्रान्ति और 1776 ई. में अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम से भी अधिक महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राज्य–क्रान्ति (1789 ई.) थी। यह क्रान्ति निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन, आर्थिक शोषण व असमानता के विरुद्ध जागृति थी। इस क्रान्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे –

1. **राजनैतिक परिस्थितियाँ –**
   फ्रांस का राजा लुई 16वां निरकुंश, स्वेच्छाचारी व दैवीय अधिकारों से युक्त था। राजा की इच्छा ही कानून था। वह खर्चीला एवं विवेकशून्य शासक था। कई वर्षों से 'एस्टेट जनरल' की बैठक नहीं बुलाई गई थी। लुई की अविवेकपूर्ण नीति के कारण फ्रांस के हाथ से भारत और अमेरिका के उपनिवेश निकल गये थे और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी।

2. **सामाजिक विषमता :–**
   फ्रांस में एक वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। दूसरा वर्ग अधिकारविहीन वर्ग था। अधिकारविहीन वर्ग जिसमें मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग थे,उनका राजा,सामन्त और पादरियों द्वारा शोषण किया जाता था। सामन्ती अत्याचार के कारण कृषकों की दुर्दशा थी। इससे असंतोष में वृद्धि हुई।

3. **आर्थिक कारण :–**
   इस समय फ्रांस की स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक खराब हो गई थी। इसका प्रमुख कारण युद्धों का भारी खर्च,दूषित कर पद्धति एवं राजशाही अपव्यय था। उच्च वर्ग को कर मुक्त रखा गया था जबकि जनता पर करों का अधिक बोझ डाला गया। आय और व्यय का कोई हिसाब भी नहीं था। अतः क्रान्ति अवश्यम्भावी थी।

4. **मजहबी असंतोष :–** फ्रांस में इस समय एक लाख पच्चीस हजार मजहबी प्रचारक पादरी थे। कुछ पादरियों का जीवन ऐश्वर्यशाली था जबकि कुछ के पास दो समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। निर्धन व भूखी जनता को चर्च की सम्पति अखर रही थी। 'टाइथ' नामक मजहबी कर जो स्वैच्छिक था,उसे जबरन वसूलना प्रारम्भ कर दिया। इससे असंतोष में वृद्धि हुई।

5. **अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव :–**
   अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के सैनिक सहयोग करने गये थे। वहां उनको राष्ट्रभक्ति,स्वतंत्रता व स्वाभिमान की प्रेरणा मिली। इस सहायता से राजकोष पर ऋण भार भी काफी बढ़ गया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस की क्रान्ति के लिए प्रेरणा बन गया।

6. **मध्यम वर्ग का उदय :–**
   कृषकों और श्रमिकों में फ्रांस के कुलीन वर्ग का विरोध करने की क्षमता नहीं थी। समाज के मध्यम वर्ग ने इस कमी को पूरा किया। इस वर्ग में विचारक,शिक्षक,व्यापारी, वकील, चिकित्सक आदि सम्मिलित थे। ये सभी फ्रांस की स्थिति में सुधार चाहते थे।

7. **बौद्धिक जागृति :–**
   इस समय फ्रांस में दार्शनिकों व लेखकों ने फ्रांस के प्राचीन गौरव और परम्पराओं को उजागर करके फ्रांस के समाज को जागृत किया। इन विद्वानों में रूसो, वाल्टेयर,मान्टेस्क्यू व दिदरो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मान्टेस्क्यू ने राजा के दैविक अधिकारों का विरोध किया, वहीं रूसो ने व्यक्ति

स्वतंत्रता की पैरवी की । रुसो ने लिखा– मनुष्यों को स्वतंत्रता, समानता के भ्रातृत्व आदिकाल से ही प्राप्त है।

8. तात्कालिक कारण बेस्तील का पतन :–

5 मई, 1789 को 175 वर्ष बाद वित्त मंत्री ब्रियां की सलाह पर एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया। राजा से प्रार्थना की गई कि असमानता,शोषण,विशेषाधिकार व बेगार प्रथा को समाप्त किया जाये। तृतीय सदन के सदस्य (सामान्य वर्ग) तीनों सदनों की संयुक्त बैठक करना चाहते थे। लेकिन प्रथम व द्वितीय सदन के कुछ पादरियों को छोड़कर कोई नहीं आया। 17 जून को तृतीय सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय असेम्बली घोषित कर दिया।

फ्रांस की राज्य क्रांति का एक दृश्य

20 जून को तृतीय सदन के सदस्य बैठक के लिये आये, तो सभा भवन का दरवाजा बन्द कर दिया गया। अतः सदस्यों ने सभा भवन के बाहर टेनिस कोर्ट में ही असेम्बली की बैठक ली व शपथ ली कि फ्रांस को संविधान दिये बिना सभा विसर्जित नहीं की जायेगी। राजा ने नेशनल असेम्बली को मान्यता प्रदान कर दी। 14 जुलाई,1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बेस्तील पर आक्रमण करके सभी कैदियों को छुड़ा लिया, यहीं से क्रान्ति की शुरुआत हो गई।

क्रान्ति का स्वरूप :–

बेस्तील का पतन राजा की निरंकुशता के विरुद्ध जनता द्वारा किये गये विरोध की सफलता का सूचक था। 4 अगस्त,1789 को राष्ट्रीय सभा ने सामन्तों के अधिकार समाप्त कर दिये। 17 अगस्त,1789 को नेशनल असेम्बली द्वारा स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व के साथ मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। 05 अक्टूबर,1789 को हजारों महिलाएं 'हमें रोटी दो' के नारे के साथ वर्साय के शाही महल में घुस गई व राजा–रानी के परिवार को बन्दी बना लिया। 1791 ई. में फ्रांस का नया संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसका मुख्य आधार लोक प्रभुत्व (जनता की इच्छा) था और कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को अलग किया गया। संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। प्रथम बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। 20 जून,1791 की रात्रि को लुई 16 वां अपनी पत्नी व राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से भाग निकला। दूसरे दिन फ्रांस की सीमा के निकट आधी रात को लोगों ने उन्हें पहचान लिया एवं पकड़कर वापिस पेरिस ले आये। राजा को अब नजरबन्द कैदी की तरह रखा गया एवं 1793 ई. में उन्हें फाँसी दे दी गई।

फ्रांस की राज्य क्रान्ति के परिणाम :–

यूरोप ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में फ्रांस की इस राज्य क्रान्ति का एक विशेष स्थान है। हेजन के अनुसार – फ्रांस की क्रान्ति ने राज्य की एक नई धारणा को जन्म दिया। इस क्रान्ति ने विश्व की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित किया। इसके प्रमुख परिणाम निम्नांकित थे –

1. इस क्रान्ति से आर्थिक शोषण की पोषक सामन्ती व्यवस्था का अन्त हुआ । अन्य देशों में भी सामन्ती व्यवस्था का पतन हुआ। राजा रानी व उसके समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। लुई के निरकुंश स्वेच्छाचारी शासन की समाप्ति हुई।
2. धर्म के क्षेत्र में उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिला। धर्मिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास हुआ।
3. इस क्रान्ति ने स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन दिया। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई।
4. इस क्रान्ति से समाजवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ।
5. फ्रांस की क्रान्ति से कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा कम हुई।
6. फ्रांस की क्रान्ति के बाद राजनैतिक दलों का विकास हुआ।
7. क्रान्ति ने निर्धनों व अमीरों दोनों को न्याय के समक्ष समानता प्रदान की गई। अमीरों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये।

रूस की क्रान्ति–1917 ई.

रूस के तत्कालीन शासक जार के अयोग्य, भ्रष्ट एवं निरंकुश शासन के विरूद्ध 1917 ई. में रूस की क्रान्ति हुई एवं

जारशाही को समाप्त कर दिया। रूस में मार्च, 1917 एवं नवम्बर, 1917 में दो क्रान्तियां हुई। मार्च की क्रान्ति में जारशाही का शासन समाप्त हुआ एवं नवम्बर की क्रान्ति से रूस में किसान–मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। इसे बोलशेविक क्रान्ति भी कहते हैं। रूस की क्रांति के कारण निम्नलिखित हैः–

1. निरंकुश जारशाही–

रूस के शासन जार दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। समस्त शक्तियां जार में निहित थी। संसद (ड्यूमा) के पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी। अलेक्जेण्डर तृतीय एवं निकोलस द्वितीय ने कठोर व दमनकारी नीति अपनायी।

2. सामाजिक विषमता–

रूस के समाज में दो वर्ग थे, एकाधिकार युक्त वर्ग एवं दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। रूस की अधिकांश भूमि और शासन पर जार के कृपा पात्र कुलीन वर्ग का आधिपत्य था। निम्न वर्ग के लोग संख्या में अधिक थे फिर भी अधिकार विहीन थे। इससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ।

3. श्रमिक असंतोष–

औद्योगिक क्रान्ति के कारण रूस में भी अनेक उद्योग व कारखाने स्थापित हुए। इससे मजदूरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई। कारखाना मालिक मजदूरों का शोषण करते थे, उन्हें कम वेतन देते थे। सरकार ने उद्योगपतियों का ही साथ दिया। अतः श्रमिक वर्ग ने इसके विरोध में मजदूर संगठन बनाकर हड़ताल का सहारा लिया। क्रान्ति की शुरूआत मजदूर हड़ताल से ही हुई। मजदूर वर्ग सर्वहारा वर्ग का शासन चाहते थे।

4. कृषक आन्दोलन–

रूस में कृषकों की दशा भी दयनीय थी। अधिकांश उपजाऊ जमीन सामन्तों के पास थी। भूमिहीन किसान जागीरदारों की भूमि पर काम करते थे। उन पर अनेक प्रतिबन्ध थे। 1905 ई. में अनेक स्थानों पर किसानों के विद्रोह हुए।

5. जार निकोलस द्वितीय का अयोग्य शासन–

जार निकोलस द्वितीय में राजनैतिक सूझबूझ का अभाव था। उसे आसानी से कोई भी प्रभावित कर सकता था। वह रानी अलेक्जेण्ड्रा के प्रभाव में था। जार व रानी दोनों पर रासपुटिन नामक एक साधु का प्रभाव था। 1916 ई. में रासपुटिन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन जार का फिर भी प्रशासनिक नियंत्रण ढीला ही रहा।

6. रूस में बौद्धिक जागृति–

बौद्धिक जागृति के कारण रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। टॉलस्टाय, तुर्गनेव के उपन्यास तथा मार्क्स एवं बकुनिन के समाजवादी विचारों ने रूस की जनता को प्रभावित किया।

7. रूसीकरण की नीति का प्रभाव–

रूस में पोल, चेक, यहूदी, तातार, उजबेक कजाख आदि अरूसी जातियाँ बड़ी संख्या में रहती थी। रूसी शासकों ने 'एक रूस, एक जार, एक धर्म' की नीति अपनायी। जार की इस रूसीकरण की नीति का अन्य जातियों ने भारी विरोध किया।

8. भ्रष्ट व अयोग्य नौकरशाही–

रूस की नौकरशाही में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उच्च पदों पर आसीन कुलीन वर्ग के लोग केवल जार की चाटुकारिता में विश्वास करते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में सेना की हार का कारण भी नौकरशाही को माना जाने लगा था।

9. तात्कालिक कारण–

प्रथम महायुद्ध में रूसी सेना की निरन्तर पराजय और युद्ध से उत्पन्न समस्याओं से यहां के लोग परेशान हो गये। रूस में युद्ध समाप्ति की मांग होने लगी, लेकिन शासन युद्ध समाप्ति के पक्ष में नहीं था। अतः जनता विरोध में उतर आयी। क्रांति का तात्कालिक कारण रोटी की कमी थी।

क्रांति का स्वरूप–

सन् 1917 मार्च में मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पैट्रोगाड में हड़ताल कर दी। 'रोटी दो' 'अत्याचारी शासन का नाश हो' के नारे लगने लगे। पुलिस के हथियार छीन लिए। सम्राट ने ड्यूमा (संसद) भंग कर दी। सैनिकों को मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया। जार ने मजबूर होकर सिंहासन त्याग दिया। करेन्सकी के नेतृत्व में रूस में अस्थायी सरकार बनी। यह सरकार अधिक समय तक नहीं चली। 1917 ई. में बोलशेविक स्वयंसेवकों और सैनिकों ने मिलकर पैट्रोगाड के समस्त सरकारी भवन, टेलीफोन केन्द्र, रेल्वे स्टेशन आदि पर अधिकार कर लिया। सत्ता आन्दोलनकारियों के नेता लेनिन के हाथों में

आ गई और रूस में सर्वहारा अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया और अब रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाने लगा।

क्रांति के परिणाम–

1. रूस में जार का निरंकुश शासन समाप्त हुआ। जुलाई 1918 को जार निकोलस उसके परिवार को गोली से उड़ा दिया।
2. लेनिन के नेतृत्व में रूस में सर्वहारा अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई।
3. रूस ने जर्मनी से ब्रेस्टलिटोवास्क की संधि कर ली एवं प्रथम विश्वयुद्ध से अलग हो गया। क्रांति के बाद रूस विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया।
4. रूस में सफलता मिलने से विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला।
5. विश्व में अधिनायकवाद को प्रोत्साहन मिला। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में अधिनायकवाद का विकास हुआ।
6. विश्व में कृषकों और मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। कारखानों का प्रबन्ध श्रमिक संघों को दिया जाने लगा।
7. समाज में समानता, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा व स्त्री स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला।
8. रूस की शक्ति बढ़ने के साथ विचारधारा के आधार पर विश्व दो गुटों में बंट गया। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी गुट एवं अमेरिका व अन्य पूंजीवादी देशों का पूंजीवादी गुट।
9. यूरोप व एशिया के अन्य राष्ट्रों में स्वतंत्रता व राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध 1914–18 ई.

सन् 1914 से 1918 ई. तक लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ा। इस युद्ध से विश्व में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण–

1. गुप्त संधियाँ एवं दो गुटों का निर्माण–

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी के बिस्मार्क ने कूटनीतिक संधियों द्वारा फ्रांस को अकेला कर दिया। फ्रांस ने रूस व इंग्लैण्ड के साथ संधि करके जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली के त्रिगुट के विरूद्ध अपना त्रिगुट संघ बना लिया। विश्व दो गुटों में बंट गया। प्रथम विश्व युद्ध इन दोनों गुटों की शक्ति का प्रदर्शन था।

2. शस्त्रीकरण व सैन्यवाद–

19वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्द्ध में यूरोप के अधिकांश देशों ने अपने शस्त्र बढ़ाने एवं सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। सैनिक शक्ति के बल पर जर्मनी ने आस्ट्रिया को पराजित किया। अब फ्रांस, रूस व इंगलैण्ड ने भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना आरम्भ कर दिया। ऐसी स्थिति में युद्ध होना ही था।

3. साम्राज्यवाद का प्रभाव–

औद्योगिक क्रांति के बाद युरोपीय देशों में समृद्धिशाली बनने की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कच्चा माल प्राप्त करने व पक्का माल बेचने के लिए अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे जिसने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। इंग्लैण्ड , फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों ने कनाड़ा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका व एशिया के देशों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने भी युरोपीय देशों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की।

4. समाचार–पत्रों का प्रभाव–

इस समय युरोप में समाचार–पत्रों में भी युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले समाचारों की अधिकता रही। इन समाचार–पत्रों में एक दूसरे देश पर दोषारोपण को बढ़ावा दिया जाने लगा और भड़काने वाले लेख प्रकाशित किये जाने लगे। एक समाचार–पत्र की पंक्तिया थी–''रूस तैयार हैं, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिये''।

5. उग्र राष्ट्रीयता की भावना–

राष्ट्रवाद की भावना के बल पर उग्र राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र के विकास, विस्तार, सम्मान व गौरव के लिए अन्य देशों को नष्ट करने के लिए तैयार थे। फ्रांस, अल्सास व लॉरेन प्रदेश चाहता था जबकि राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर पोल, चेक, सर्ब तथा बल्गर लोग आस्ट्रिया से अलग होना चाहते थे।

6. केसर विलियम की महत्वाकांक्षा–

जर्मन सम्राट केसर विलियम जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता था। तुर्की से समझौता करके उसने बर्लिन बगदाद रेल्वे लाइन का निर्माण कराया। नौसेना में विकास को लेकर उसने इंगलैण्ड

को नाराज कर दिया। उसने विचार प्रकट किया कि समुद्री विस्तार जर्मनी की महानता के लिये अनिवार्य नियति है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव–

उस समय ऐसी कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो यूरोपीय देशों के आपसी विवादों को सुलझाकर उन्हें युद्ध से विमुख कर दे। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ऐसी संस्थाओं का विकास हुआ।

8. अन्तर्राष्ट्रीय संकट एवं बाल्कन युद्ध का प्रभाव–

20वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय घटना क्रमों से विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी हो गये और दो सशस्त्र गुटों में बंट गये। 1904–05 ई. का रूस जापान युद्ध, मोरक्को व अगाडीर संकट, आस्ट्रिया द्वारा बोस्निया व हर्जगोविना पर अधिकार व बाल्कन युद्ध (1912–13 ई.) इसी प्रकार के प्रमुख संकट थे।

9. तात्कालिक कारण–

बोस्निया व हर्जगोविना को लेकर सर्बिया में आस्ट्रिया विरोधी भावना थी। ऐसे में आस्ट्रिया का राजकुमार फर्डीनेड व उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में दो सर्ब युवकों ने 28 जून 1914 को सरे आम हत्या कर दी। इसी बात को लेकर 28 जुलाई 1914 को आस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। रुस ने सर्बिया के समर्थन में युद्ध प्रारम्भ कर दिया। जर्मनी ने भी रूस के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।

युद्ध की प्रकृति–

इस युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे एवं दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इंगलैण्ड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, इटली, सर्बिया, पुर्तगाल, रूमानिया, चीन, आस्ट्रेलिया कनाड़ा व दक्षिणी अफ्रीका शामिल थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, टर्की तथा बल्गेरिया आदि शामिल थे। युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में धुरी राष्ट्र हावी रहे। इसी बीच रूस युद्ध से अलग हो गया और 1918 ई. में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली। मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ 11 नवम्बर, 1918 को प्रातः 11 बजे युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और विभिन्न देशों के साथ अलग–अलग संधियां की गई। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई।

युद्ध के परिणाम–

1. युद्ध में अपार जन व धन की हानि हुई। युद्ध में छः करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। जिसमें 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गये और 2 करोड़, 20 लाख सैनिक घायल हुये। युद्ध में लगभग एक खरब 86 अरब डॉलर खर्च हुये और लगभग एक खरब डॉलर की सम्पत्ति नष्ट हुई।
2. जर्मनी रूस, आस्ट्रिया में निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति हुई।
3. युद्ध के बाद शान्ति संधियों के माध्यम से अनेक परिवर्तन हुए। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, लेटेविया, एस्टोनिया, फिनलैण्ड, पौलेण्ड, आदि नये राज्यों का उदय हुआ।
4. विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित सरकारों की स्थापना हुई। रूस में साम्यवादी सरकार, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फासीवादी सरकारों की स्थापना हुई।
5. अमेरिका ने युद्ध काल में बड़ी मात्रा में मित्र राष्ट्रों को ऋण देकर आर्थिक सहयोग किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में भी अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन की महत्वूपर्ण भूमिका रही थी। इस युद्ध से अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई।
6. युद्ध के समय घरेलू मोर्चे व चिकित्सा क्षेत्र में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अतः स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया।
7. द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी इसी युद्ध के परिणामस्वरूप हो गया था। वर्साय की संधि से असंतुष्ट होकर जर्मनी व इटली ने विश्व को दूसरे विश्वयुद्ध की ओर धकेल दिया।
8. अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों से विभिन्न देशों के विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यद्यपि विवादों को सुलझाने में यह संस्था सफल नहीं हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध 1939–1945 ई.

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि के लिए कहा गया था कि''यह शांति संधि नहीं अपितु 20 वर्ष के लिए विराम संधि है।'' यह घोषणा सत्य सिद्ध हुई। 1 सितम्बर 1939 में पौलेण्ड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण–

1. वर्साय की अपमानजनक संधि–

वर्साय की संधि (1919 ई.) के समय विजयी राष्ट्रों ने दूरदर्शिता के बजाय प्रतिशोध की भावना से जर्मनी का दमन किया। संधि की अपमानजनक शर्तों से जर्मन प्रतिनिधि और जनता में असंतोष था। जर्मनी को आक्रमण का भय दिखाकर संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया। जर्मनी के हिटलर ने इन शर्तों का उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले राइन प्रदेश का सैन्यीकरण किया तथा 1938 ई. में आस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया।

2. अधिनायकवाद का विकासः–

प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्रों में लोकतंत्र व्यवस्था सफल नहीं रही। जर्मनी, इटली व जापान तीनों देशों में तानाशाही व साम्राज्यवादी भावना प्रबल हो चुकी थी। इन्होंने वर्साय की संधि की व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए तीनों ने रोम, बर्लिन, टोकियो धुरी का निर्माण कर लिया। इनके विरूद्ध मित्र राष्ट्रों का भी गुट तैयार हो गया।

3. राष्ट्रसंघ की निर्बलता–

राष्ट्रसंघ का निर्माण आपसी झगड़ों को सुलझाने तथा विश्व में शांति बनाये रखने के लिये किया गया था, परन्तु मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ का प्रयोग अपने हित और अहित के आधार पर किया। तानाशाहों के विरूद्ध राष्ट्रसंघ कोई कार्यवाही नहीं कर सका।

4. ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति–

ब्रिटेन ने बढ़ते हुये साम्यवादी प्रभाव को रोकने और अपने व्यापार की वृद्धि की दृष्टि से जर्मनी के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाई। जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया का अपहरण, चेकोस्लोवाकिया के अंग–भंग, राइनलैण्ड के सैन्यीकरण के समय इंग्लैण्ड ने जर्मनी के विरूद्ध कोई कदम नहीं उठाया।

5. उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव–

प्रथम महायुद्ध की तरह, उग्र राष्ट्रीयता की भावना द्वितीय महायुद्ध का भी प्रमुख कारण रहीं। इटली, जर्मनी व जापान में यह भावना अधिक प्रबल रही। राष्ट्रसंघ भी इस पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हो सका। अतः फिर युद्ध की आशंका बनने लगी।

6. मित्र राष्ट्रों में समन्वय का अभाव–

मित्र राष्ट्र परस्पर सहयोगी थे, लेकिन नीतियों में समानता का अभाव था। वे एक मत होकर जर्मनी, जापान व इटली के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर सके। जर्मनी का साहस बढ़ता गया और विश्व शांति के लिये खतरे की घंटी बन गई।

7. निःशस्त्रीकरण नीति का सफल न होना–

मित्र राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण नीति को पराजित राष्ट्रों पर ही लागू करना चाहते थे लेकिन निःशस्त्रीकरण को स्वयं पर लागू नहीं किया। अन्य राष्ट्र यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे। अतः जर्मनी व अन्य राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ प्रारम्भ हो गई, जो विश्वशान्ति के लिए खतरा बन गई।

8. आर्थिक मंदी–

सन् 1929–30 के आर्थिक संकट ने यूरोप के सभी देशों की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित किया। इस संकट के कारण सुरक्षा की भावना का अन्त हुआ और तानाशाहों का उदय हुआ। इससे युद्ध को प्रोत्साहन मिला।

9. अन्य कारण–

स्पेन के गृह युद्ध में इटली व जर्मनी ने हस्तक्षेप करके वहाँ के शासक जनरल फ्रेंकों का समर्थन ले लिया। इटली ने अबीसीनिया पर आधिपत्य करके भी विश्वशांति के लिए खतरा उत्पन्न किया। हिटलर ने 1939 ई. में रूस के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया ताकि जर्मनी पौलेण्ड पर आक्रमण करे तो रूस तटस्थ रहे।

10. तात्कालिक कारण–

जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के उपरान्त 1 सितम्बर, 1939 से पौलेण्ड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी के विरूद्ध युद्ध की घोषणा के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरूआत हो गई।

युद्ध का स्वरूप–

युद्ध का स्वरूप इस तरह था, एक ओर राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान, फिनलैण्ड, रूमानिया और हंगरी थे तो दूसरी ओर मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सं.रा. अमेरिका, चीन, पौलेण्ड, व इनके उपनिवेश थे।

युद्ध के प्रारम्भ में धुरी राष्ट्रों को काफी सफलता मिली। जापान ने दिसम्बर 1941 में अमेरिकी नौसेना केन्द्र पर्ल हार्बर

पर आक्रमण कर दिया, इससे चिढ़कर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद मित्र राष्ट्रों को सफलता मिलने लगी। अमेरिकी सेनाओं ने हिटलर से फ्रांस को मुक्त करा लिया। इटली ने भी आत्म समर्पण कर दिया। 1945 में जर्मनी का भी पतन हो गया। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया। इस विनाश से भयभीत होकर जापान ने 10 अगस्त को समर्पण का प्रस्ताव भेजा। अन्त में, 14 अगस्त, 1945 को युद्ध बन्द हो गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम–

1. प्रथम महायुद्ध की तरह इस युद्ध में अपार धन व जन की हानि हुई। युद्ध में लगभग 5 करोड़ व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए। इस युद्ध में विविध देशों द्वारा 1 लाख करोड़ डॉलर धन खर्च हुआ।
2. इस युद्ध से परमाणु बम के प्रयोग की शुरूआत हुई जो कि काफी विनाशक थी। वैज्ञानिक उन्नति ने इसे और भयावह बना दिया। विश्व के देश एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर शांति की राह खोजने के लिए मजबूर हुए।
3. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सम्पूर्ण विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। एक में अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करने लगा। दूसरे गुट रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का था। दोनों गुटों में काफी समय तक शीत युद्ध चलता रहा एवं सुरक्षा के लिए कई समझौते भी हुए।
4. मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने की दृष्टि से उसे दो भागों में बांट दिया। ब्रिटेन, फ्रांस,संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकृत जर्मन भागों को जर्मन संघ राज्य बना दिया, यह पूर्वी जर्मनी कहलाया। रूस अधिकृत जर्मनी को पश्चिमी जर्मन जनवादी राज्य घोषित किया। बर्लिन के बीच दीवार बनाकर उससे दो भागों में कर दिया। यह विभाजित जर्मनी 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एक हो गया।
5. युद्ध के बाद विचारधाराओं की तरह ही विश्व में सैनिक गुटों का भी निर्माण हुआ। अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो), जनतंत्र समर्पित राष्ट्रों का संगठन दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन (सीटों) एवं साम्यवादी देशों का संगठन 'वारसा पेक्ट' था।
6. द्वितीय विश्व के बाद कई देश स्वतंत्र हो गये। जो बड़े देशों के उपनिवेश थे। सन् 1947 में भारत, 1949 ई. में फिलीपाइन्स व चीन में लोकतंत्र की स्थापना, 1951 ई. में लीबिया, उसके साथ घाना, अल्जीरिया व गिनी तथा 1960 ई. में अफ्रीका के 17 देश स्वतंत्र हुए।
7. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व को युद्ध से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई।
8. द्वितीय विश्व युद्ध से साम्राज्यवाद को काफी धक्का लगा। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलेण्ड, बेल्जियम जैसे साम्राज्यवादी देश कमजोर हो गये।
9. युद्ध के बाद युद्ध अपराधियों पर विचार करने के लिये वार क्राइम कमीशन की स्थापना की गई।
10. युद्ध के बाद सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक दो महाशक्तियां बनी। दोनों में लम्बे समय तक शीत युद्ध चलता रहा।
11. इस युद्ध के बाद विश्व इतिहास में युरोप की स्थिति कमजोर पड़ गई। अब विश्व का राजनैतिक नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के पास आ गया।

राष्ट्रसंघ

राष्ट्रसंघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन (1919 ई.) का महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की सर्वाधिक भूमिका रही। वर्साय संधि की प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्रसंघ की ही व्याख्या है। 1920ई. में राष्ट्रसंघ ने अपना वैधानिक स्वरूप प्राप्त किया। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 32 देश इसके संस्थापक सदस्य बने। बाद में इनकी संख्या 55 हो गई।

राष्ट्रसंघ के उद्देश्य–

1. आपसी विवाद सुलझाना व सुरक्षा की व्यवस्था करना।
2. सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना
3. पेरिस शांति समझौते के द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्यों को पूरा करना।

राष्ट्रसंघ के अंग

राष्ट्रसंघ के तीन प्रमुख अंग थे–असेम्बली, कौन्सिल व सचिवालय। इसके अलावा इसके दो स्वायत्त अंग थे– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय व अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन।

राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के लिए अच्छे थे लेकिन यह महाशक्तियों के अहसयोग, और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही बन कर रह गया। अपने उद्देश्य में इसे सफलता नहीं मिली।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दृष्टि से विश्व की सर्वोच्च शक्तियों ने विचार–विमर्श, सम्मेलन और वार्ताएं प्रारम्भ की। इन प्रयासों में अटलांटिक चार्टर, कासाब्लांका सम्मेलन, मास्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन व सेन फ्रांसिस्कों सम्मेलन विशेष महत्वपूर्ण रहे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रेल, 1945 को अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को नगर में सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। इसमे 51 देशों के 850 प्रतिनिधि एकत्र हुये। 26 जून को 50 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किये। पौलेण्ड ने बाद में हस्ताक्षर किये। इस प्रकार 51 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। सभी राष्ट्रों ने 24 अक्टूबर, 1945 तक अपनी संसद से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली। अतः 24 अक्टूबर को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उद्देश्य

1. अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान व न्याय ।
3. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना।
4. व्यापक शांति को प्रोत्साहित करते हुए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देना।

कोई भी राष्ट्र जो शांति प्रिय हो एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में विश्वास रखता हो, सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद की संस्तुति के बाद महासभा का दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्यालय अमरीका के न्यूयार्क में है। महासचिव संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा की जाती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग– संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके 6 अंग है

1. महासभा
2. सुरक्षा परिषद
3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
4. न्यास परिषद
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
6. सचिवालय

1. **महासभा**–यह संयुक्त राष्ट्र की मुख्य व्यवस्थापिका है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष व सात उपाध्यक्ष होते हैं। कार्य के सुचारू संचालन हेतु 6 समितियां होती है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह में होता हैं। बजट पारित करना, सदस्य राज्यों का प्रवेश, निष्कासन व निलम्बन पर विचार करना, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना, मानव कल्याण के लिए सहयोग करना आदि प्रमुख कार्य हैं।
2. **सुरक्षा परिषद**–यह सयुंक्त राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं– 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस व चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2/3 बहुमत से महासभा द्वारा किया जाता है। यह निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती हे। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को चुनती है। सदस्यों के प्रवेश निष्कासन, महासचिव की नियुक्ति की संस्तुति करती है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व विवादों का निपटारे का कार्य करती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार (वीटो) होता है। किसी भी निर्णय में यदि एक स्थायी सदस्य की असहमति होती है तो निर्णय पारित नहीं होता है। वीटो के लिए स्थायी सदस्य की उपस्थित होना आवश्यक है।
3. **आर्थिक व सामाजिक परिषद**– इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सदस्यों की संख्या 54 है। प्रति वर्ष 1/3 सदस्य रिक्त स्थानों के लिए चुने जाते हैं। परिषद का कार्य संसार के गरीब, बीमार, निरक्षर व असहाय लोगों की सहायता करना है। मानवीय अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता का आदर व लागू करने के लिए संस्तुति करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना आदि प्रमुख कार्य हैं।
4. **प्रन्यास परिषद**– संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में यह व्यवस्था दी गई थी कि वे प्रदेश अविकसित व पिछड़े हैं,

पूर्ण स्वायत्तशासी नहीं है, वहां के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्यास व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित राष्ट्रों को धरोहर के रूप में सौंप दिया जाय। उन देशों को विकसित कर उनमें स्वशासन स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय–** अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हालैण्ड के हेग नगर में 1946 में की गई थी। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् व महासभा द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों पर विचार व व्याख्या करना है। इसका क्षेत्राधिकार उन सभी देशों पर हैं जो इसकी संविधि को स्वीकार कर चुके हैं।

6. **सचिवालय**–सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रशासनिक अंग है जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी कार्यों को सम्पादित करता है। सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है जो सचिवालय की सहायता से अपना सम्पूर्ण कार्य करता है। वह अपने पद के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंगों की कार्यवाही में उपस्थित रहता है व कार्यवाही में भाग लेता है। महासभा द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। महासभा में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। महासचिव का पद अत्यधिक महत्व का पद होता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट निकाय–

संयुक्त राष्ट्रसंघ को व्यापक एवं विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिये अलग–अलग क्षेत्रों में विशिष्ट निकाय है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय कल्याण में कार्यरत है। इनकी अपनी स्वयं की कार्य प्रणाली है। प्रमुख निकाय निम्नलिखित हैं–

1. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन
2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
3. खाद्य एवं कृषि संगठन
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन
5. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
6. अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण व विकास बैंक
7. संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम
9. अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ
10. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
11. विश्व डाक संघ
12. अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ
13. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
14. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
15. विश्व खाद्य कार्यक्रम
16. विश्व व्यापार संगठन

राष्ट्रसंघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ को कई क्षेत्रों में सफलता मिली। कई बार विश्व में युद्ध की स्थितियां बनी, उनको संयुक्त राष्ट्रसंघ ने रोका। इनमें फिलीस्तीन, इण्डोनेशिया, कांगो, क्यूबा, सीरिया, लेबनान समस्या आदि प्रमुख है लेकिन निःशस्त्रीकरण, कश्मीर विवाद, कोरिया विवाद अभी भी बना हुआ है। आतंकवाद और अन्य कई युद्धों को रोकने में भी सफलता नहीं मिली।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरिया युद्ध (1950 ई.) के बाद युद्ध बन्दियों के आदान–प्रदान, स्वेज संकट के समय (1956 ई.) भारत की सैनिक टुकड़ी भेजना, तथा कांगो संकट के समय (1960 ई.) तथा सोमालिया संकट (1991 ई.) के समय भी भारत की सैन्य टुकड़ी ने खाद्य सामग्री पहुँचाई। भारत ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों को स्वतंत्रता दिलाने का भी समर्थन किया।

पश्चिम का औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार

पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए नये देशों की खोज करके वहां अपना प्रभाव स्थापित किया, व्यापार की सुविधाएं प्राप्त की और बाद में साम्राज्य स्थापित किया। पश्चिमी राष्ट्रों की इसी प्रवृति को विद्वानों ने औपनिवेशिक विस्तार या औपनिवेशिक साम्राज्यवाद कहा हैं।

16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैण्ड, हालैण्ड और फ्रांस ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से बड़े–बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किये।

अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी देशों का लगभग पांचवें भाग पर विशेषकर समुद्री किनारे पर अधिकार था। ये लोग दासों का व्यापार करते थे जो अमानवीयता की श्रेणी में आता है। अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा जाता था और उन पर अमानुषिक अत्याचार किया जाता था। कोड़े बरसाये जाते थे। इन देशों ने अपने आर्थिक व राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उचित व अनुचित सभी तरीके अपनायें।

कारणः –

(1) औपनिवैशिक साम्राज्य विस्तार के पीछे प्रमुख कारण पश्चिमी देशों द्वारा अपनी आर्थिक भूख की पूर्ति करना था।

(2) औद्योगिक क्रान्ति के बाद इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इस उत्पादन को खपाने के लिए नये स्थानों की आवश्यकता थी।

(3) अपने उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल की जहां उपलब्धता थी, युरोपीय देश उन पर अपना अधिकार करने का प्रयास करने लगे।

(4) युरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी एकत्र होने लगी थी अतः इसके निवेश के लिए भी नये स्थानों की आवश्यकता थी।

(5) संचार एवं यातायात के साधनों ने भी परिवहन एवं संवाद में सुगमता प्रदान की। इससे भी औपनिवैशिक विस्तार को सहयोग मिला।

(6) इन देशों की आबादी में भी तेजी से वृद्धि होती जा रही थी। अतः बढ़ी हुई आबादी को बसाने के लिए भी नये स्थानों की आवश्यकता महसूस होने लगी।

(7) युरोपीय साम्राज्य विस्तार में ईसाई पादरियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

औपनिवैशिक विस्तार के क्षेत्रः–

एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ही इस समय ऐसे क्षेत्र थे, जहां शोषण व साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक संभावनाएं थी, यथा–

एशिया–

दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, मालद्वीप आदि में औपनिवेशिक विस्तार पश्चिमी देशों द्वारा किया गया। भारत में ब्रिटिश, फ्रैंच एवं डच तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। आपसी संघर्षों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल के रास्ते प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने व अपना औपनिवैशिक विस्तार करने में सफलता मिली। श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य रहा। वह 1948 ई. में स्वतंत्र राष्ट्र बना। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, बर्मा, मलाया, तिमोर आदि देशों पर इंग्लैण्ड, हालैण्ड एवं फ्रांस का आधिपत्य रहा।

दक्षिण अफ्रीका–

दक्षिणी अफ्रीका में मुख्य रूप से इंग्लैण्ड और फ्रांस दो शक्तियों का औपनिवेशिक आधिपत्य रहा। अंग्रेजों ने यहां भी रंग–भेद की नीति अपनायी। अश्वेतों का शोषण एवं उन पर अत्याचार किया जाता था। यहां दास प्रथा का प्रचलन था। पश्चिमी देशों के लोग दासों का व्यापार करते थे।

अरब बसन्त 2010–2013 ई.

अरब देशों में 2010 से 2013 ई. तक प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र चुनाव, मानव अधिकार, बेरोजगारी एवं शासन परिवर्तन के लिये प्रदर्शन, विरोध, उपद्रव एवं जन आन्दोलन की क्रान्तिकारी लहर चल पड़ी थी। ये आन्दोलन अरब देशों में एक अच्छे उद्देश्य को लेकर किये गये थे। इसलिये विद्वानों ने इसे अरब बसन्त की संज्ञा दी। अरब बसन्त नाम का प्रयोग प्रथम बार 6 जून 2011 के अमेरिका के जर्नल 'फॉरेन पॉलिसी' में मार्क लिंच ने अपने लेख में किया था। इससे पूर्व यूरोप में 1848 की क्रांन्ति के बाद भी स्प्रींग टाईम ऑफ नेशन नाम का प्रयोग हुआ था। यह प्रयोग 'राष्ट्रों का अच्छे दिनों का समय' के अर्थ में था।

अरब बसन्त का क्षेत्र–

अरब देशों के लिये भी यह आन्दोलन जनता द्वारा 'अच्छे दिन आयें' उद्देश्य को लेकर किया गया था। इसीलिये इसे अरब बसन्त की श्रेणी में रखा गया है। इस आन्दोलन की शुरुआत ट्यूनिशिया की क्रान्ति से हुई और शीघ्र ही यह आन्दोलन अरब लीग के देशों और उसके आस–पास के क्षेत्रों में फैल गया। अरब बसन्त जिन क्षेत्रों में फैला उनमें ट्यूनिशिया, मिश्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, ईराक, जोर्डन, मोरक्को,सूडान, ओमान, साऊदी अरब आदि प्रमुख थे।

अरब बसन्त के कारणः–

1. अरब देशों में राजनैतिक भ्रष्टाचार में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। अतः देश में विकास के लिये इसे मिटाना जरूरी था।
2. मानव अधिकारों का उल्लंघन एवं शोषण के कारण व्यवस्था के विरूद्ध विरोध उत्पन्न हुआ।
3. तानाशाही शासकों के विरूद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होना।

4. शासकों की साम्राज्यवादी प्रवृति ने भी लोगों में असन्तोष उत्पन्न किया।
5. अरब देशों में बेरोजेगारी में वृद्धि से युवकों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई।
6. आय के स्तर में भी काफी अन्तर हो गया था। कुछ लोग ओर अधिक सम्पन्न होते जा रहे थे, जबकि समाज का सामान्य वर्ग अत्यधिक गरीब था।
7. प्रशासन में नौकरशाही और अधिक हावी हो रही थी। लोगों के कार्य नहीं हो रहे थे। इससे भी असन्तोष की भावना उत्पन्न होने लगी।
8. प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहन मिलना।

अरब बसन्त के उद्देश्य एवं स्वरूपः–

अरब देशों में चल रही तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था एवं सरकार में बदलाव लाना अरब बसन्त का मुख्य उद्देश्य था। इससे मानव अधिकारों की सुरक्षा, स्वतन्त्र चुनाव की व्यवस्था, बेरोजगारी दूर करना एवं इस्लामीकरण आदि अरब बसन्त के मुख्य उद्देश्य थे।

अरब आन्दोलनकारियों ने विरोध के लिये अहिंसात्मक व हिंसात्मक दोनों तरीके अपनाये। विरोध के तरीकों में सविनय अवज्ञा, सविनय विरोध, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, इन्टरनेट पर सक्रिय रहना, हिंसक प्रदर्शन एंव शान्तिपूर्वक विरोध आदि सभी तरीकों का अरब बसन्त में प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था– ''जनता चाहती है प्रचलित शासन पद्धति को गिराओ ''

अरब बसन्त– महत्व एंव परिणाम

अरब बसन्त के माध्यम से अरब देशों में प्रजातन्त्र और सुधारों की ऐसी क्रन्तिकारी लहर चली जिसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। वर्षों से चली आ रही तानाशाही सरकारों का अन्त हुआ एवं सभी अरब देशों में सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर ध्यान दिया जाने लगाा।

1. ट्यूनिशिया के जेनुअल आब्दीन अली, मिश्र के हॉस्नी मुबारक, लीबिया के कर्नल गद्दाफी एवं यमन के शाह अली अब्दुला का तख्ता पलट दिया गया एंव उन्हें अपदस्थ कर, नई सरकारे बनी।
2. कुवैत लेबनान ओमान व बहरीन ने भी अरब बसन्त के भारी विरोध को देखते हुए अपने प्रशासन में कई तरह के सुधार किये।
3. मोरक्को एवं जार्डन में संवैधानिक सुधारों की क्रियान्विति की गई।
4. अल्जीरिया में 19 वर्ष पूर्व लागू की गई आपात्कालीन स्थिति को हटा दिया गया।
5. अरब बसन्त में 1,70,000 से अधिक लोगों की जानें गई। अरब बसन्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक अराजकता एवं तानाशाही को जनता अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकती है। अरब बसन्त के शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले एवं विरोध करने वालों की ओर विश्व का भी ध्यान उत्कृष्ट हुआ। ऐसे कुछ विरोधकर्ताओ के नाम नोबेल पुरूस्कार के लिये भी नामित किये गये। यमन के तवकोल–करमान को 2011 ई. का नोबेल अरब बसन्त में शान्तिपूर्ण विरोध के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये संयुक्त रूप से दिया गया। अरब बसन्त के प्रभाव से ही कुछ शासकों ने दुबारा चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कुछ ने त्याग–पत्र दे दिया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए औपनिवैशिक साम्राज्यवाद का प्रसार किया।
2. ''स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व'' फ्रांस की क्रान्ति का मुख्य संदेश था।
3. रूस ने क्रान्ति के बाद जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली।
4. नवम्बर, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविकों ने रूस की सरकार को समाप्त कर दिया।
5. प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व गुप्त संधियों के कारण यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया था।
6. प्रथम विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण सर्बिया में आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डीनण्ड की हत्या करना था।
7. वर्साय संधि की अपमानजनक एवं कठोर शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनी।
8. 1 सितम्बर 1939 ई. को जर्मनी द्वारा पोलैण्ड पर आक्रमण द्वितीय विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण था।
9. राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी, 1920 को हुई थी।
10. सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू किया गया।
11. संयुक्त राष्ट्रसंघ में महासचिव पद सर्वाधित महत्वपूर्ण है।
12. विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्रसंघ को भारत ने भी पर्याप्त सहयोग किया।

13. अमरीका ने जापान के हिरोशिमा (6 अगस्त) और नागासाकी (9 अगस्त, 1945) शहरों पर परमाणु बम गिराये।
14. अरब देशों में चल रही प्रशासन व्यवस्था एवं सरकार में बदलाव लाना अरब बसन्त का मुख्य उद्देश्य था।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

1.फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था?

(अ) लुई 14वां (ब) लुई 18वां

(स) लुई 16वां (द) लुई 15वां

2.जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया।

(अ) 1939 (ब) 1935

(स) 1936 (द) 1937

3.प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई?

(अ) न्यूइली की संधि (ब) सेब्र की संधि

(स) वर्साय की संधि (द) ट्रियाना की संधि

4. स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की?

(अ) अमेरिका व रूस (ब) जर्मनी व इटली

(स) आस्ट्रिया व हंगरी (द) जर्मनी व जापान

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक जागरण के दो विद्वानों के नाम बताइये।
2. प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था?
3. बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता का नाम बताइये।
4. द्वितीय महायुद्ध में जापान ने अमेरिका के किस नौ सेना केन्द्र पर आक्रमण किया।
5. मार्च की क्रांति के बाद रूस में किसने सरकार बनाई?
6. स्पेन के युद्ध में फ्रैंचों की मदद किसने की?
7. राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई?
8. संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. एस्टेट जनरल क्या थी?
2. बेस्तील के पतन के बारे में आप क्या जानते है?
3. द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देशों के नाम बताइये।
4. पेट्रोग्राड में मजदूर हड़ताल पर टिप्पणी लिखिए।
5. ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई?
6. प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बताइये।
7. निःशस्त्रीकरण की असफलता का उल्लेख कीजिए।
8. संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइये।
9 अरब बसन्त का अर्थ व उद्देश्य बताइये।

निबन्धात्मक प्रश्न–

1. फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण व परिणाम बताइये।
2. प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. 1917 ई. की रूस की क्रांति के कारण बताइये।
4. द्वितीय महायुद्ध के कारण व परिणाम बताइये।
5. औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के कारण बताइये।
6. संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना व उसके प्रमुख अंगों का वर्णन करिए।
7 अरब बसन्त के कारण व परिणामों का संक्षेप में वर्णन करिये।

वस्तुनिष्ठ उत्तर

1.(स) 2.(अ) 3.(स) 4.(ब)